न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सूरज सिंह नेगी,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 70/2023

प्रविष्टि दिनांक 25.07.2023

सीताराम पुत्र जगदीश जाति खाती निवासी ग्राम दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज.

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक राजस्थान

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार दूनी दिनांक 27.06.2023 प्रकरण सं. 365/2023

उपस्थिति : (1) श्री राजेन्द्र जाट, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री मजहर आलम, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 11.08.2023

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दूनी ने अपने आदेश दिनांक 27.06.2023 के द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 3043 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म भूमि गैर मुमकिन नाला वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर राजस्व लगान 0.08 रूपये का 50 गुना जुर्माना कुल 4 रू अदा करने तथा 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किए जाने का पारित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार दूनी के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय पारित किए जाने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया और नोटिस दिया जाकर उसकी विधिवत रूप से अपीलांट की व्यक्तिशः तामील नहीं करवायी और बिना तामील के अपीलान्ट को उक्त कठोर निर्णय से दण्डित किया है। उक्त निर्णय पारित करने के पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और न ही साक्ष्य सबूत का अवसर दिया गया है। तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण भी नहीं किया गया और न ही मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई है। बिना मौके पर जाकर स्वतन्त्र गवाहान के बयान लिये ही निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हलका से अपीलान्ट को जिरह का अवसर नहीं दिया और पटवारी हलका द्वारा अपीलान्ट का मौके पर उक्त आराजी पर कब्जा नहीं होने के उपरान्त भी दुर्भावनापूर्वक उक्त भूमि के कब्जे की रिपोर्ट की है और उक्त रिपोर्ट को आधार बनाकर अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय पारित कर

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

दिया है जो कि विधिविरूद्ध है। वर्तमान मे अपीलांट का किसी भी राजकीय भूमि पर कब्जा नही है और भविष्य मे कभी भी किसी भी राजकीय भूमि पर अपना कब्जा नही करेगा। इस संबंध में शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ तहसीलदार दूनी का निर्णय दिनांक 27.06.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल संख्या 1550/2022 से निर्णय पारित किया जाकर बेदखल कर दिया गया था। अतिक्रमी गैर मुमकिन नाला भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य मे किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नही है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा 3043 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नाला वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी पर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। वर्तमान मे अपीलांट का किसी भी राजकीय भूमि पर कब्जा नही है और भविष्य मे कभी भी किसी भी राजकीय भूमि पर अपना कब्जा नही करेगा। इस संबंध में शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.06.2023 के जरिये लगाया गया अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित की जाती है कि तहसीलदार दूनी यह सुनिश्चित करेगे की अपीलांट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नही हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित मे उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है एंव भविष्य मे पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलांट कब्जा नही करेगा। यदि अपीलांट उक्त भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
अति.जिला कलेक्टर,
टोक